न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)

प्रकरण संख्या – 20 / 2024

1. श्री भंवर मीणा पुत्र उंकार मीणा वनाम निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
2. श्री उदा नाथ पुत्र लाल नाथ निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
3. श्री दूदा रायका पुत्र सोदान रायका निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
4. श्री मुकेश रायका पुत्र भोमा रायका निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
5. श्री रामजश धाकड पुत्र बालू धाकड निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
6. श्री मांगीलाल पुत्र बागा रायका निवासी ढाणीभवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
7. श्रीमति मैना देवी पत्नि आशाराम धाकड, सरपंच ग्राम पंचायत ढाणी भवसागर, तहसील व जिला शाहपुरा।

–प्रार्थी

1. श्री दूदा पुत्र नारायण रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
2. श्रीमति मोरा पत्नी दूदा रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला शाहपुरा।

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17–ए राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचित परियोजना भूमि आवंटन नियम 1968

उपस्थित –

1. श्री योगेन्द्र सिंह भाटी अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री शोभागमल कुमावत अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 09 .04.2024

1. प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचित परियोजना भूमि आवंटन नियम 1968 के नियम 17–ए के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि राजस्व केम्प डावला कचरा में दिनांक 15.12.2004 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम ढाणी भवसागर तह. शाहपुरा की आराजी संख्या 154 में रकबा 0.25 हे. भूमि का आवंटन विपक्षीगण संख्या–01 व 02 को कर दिया, जिसके आवंटन के

जिला कलक्टर
शाहपुरा

बाद तरमीम नंबर 691/154 किये गये। उक्त भूमि ग्राम ढाणी भवसागर तह. शाहपुरा की आराजी संख्या 196 व 232 गेमु नाले के केचमेंट क्षेत्र की भूमि है, जो उम्मेद सागर बांध परियोजना के बहाव क्षेत्र की भूमि होने से विनिश्चय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के अनुसार आवंटन योग्य नहीं है। विपक्षीगण संख्या 01 व 02 का भूमि पर आवंटन के बाद से आज तक भी कोई कब्जा व काश्त नहीं रहा है। विपक्षीगण संख्या 01 व 02 के भूमि आवंटन आवेदन के अंत में सत्यापन नहीं किया गया है। इस प्रकार आवेदन का सत्यापन नहीं होते हुए भी विपक्षीगण का सही सत्यापन मानते हुए व उनका अनुचित पक्ष लेकर उपरोक्त भूमि आवंटन कराने में वास्तविक तथ्यों को छिपाकर एवं झूठे तथ्यों के आधार पर भूमि आवंटित कराई है,"। विपक्षी संख्या 1 व 2 न तो भूमि आवंटन कराने की पात्रता रखते है और न उन्होंने आवंटन नियमों की कोई पालना ही की है। उपरोक्त भूमि का नामान्तरण बिना मौके व तथ्यों की जांच किये खोला गया. उक्त आवंटित भूमि गाम ढाणी भवसागर के मवेशियों के आने जाने का रास्ता वर्षों से चला आ रहा है। भूमि सार्वजनिक उपयोग की तथा उम्मेद सागर बांध के भराव क्षेत्र की व नाले के केचमेंट क्षेत्र की भूमि होने से विपक्षी संख्या 01 व 02 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि एवं नियमो के प्रतिकूल होकर आवंटन नियमो की पालना नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में ग्राम ढाणी भवसागर तह. शाहपुरा की आराजी संख्या 154 में रकबा 0.25 हे. भूमि का किया गया आवंटन दिनांकित 15.12.2004 को अपास्त फरमाया जावे।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिकार पत्र पेश किया जाकर जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली है। विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षीगण जवाबदाता को गरीब व भूमिहीन काश्तकार होने से आंवटन सलाहकार समिति द्वारा सरहद ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा की आराजी नम्बर 154 में से रकबा 0.25 हैक्टयर भूमि का आंवटन की पात्रता रखने के कारण जांच पड़ताल कर विधिवत तौर पर भूमि मजमे आम में आंवटित की गयी जिसमे उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, तहसीलदार, शाहपुरा एवं गिरदावर व आंवटन समिति के सदस्यता के रूप मे शामिल थे, जिस पर विपक्षीगण जवाबदाता का मौके पर कब्जा सिपुर्द किया गया, तब से जवाबदाता काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं उससे होने वाली उपज से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है एवं विपक्षी जवाबदाता ने आंवटन कमेटी के समक्ष क्लीन हैड से आवेदन कराया था, आंवटित भूमि किसी प्रकार से गै.मु. नाले के केचमेन्ट ऐरिया की भूमि नहीं है, न ही अब्दुल रहमान बनाम सरकार का आदेश लागू होता है, उक्त आंवटित भूमि कृषि योग्य भूमि है, जिसमे जवाबदाता विपक्षी का कब्जा होकर काश्त करता चला आ रहा है। वास्तविकता मे जवाबदाता की उक्त आराजी पर वक्त आवंटन से काबिज होकर फसल काश्त करता चला आ रहा है। अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है। प्रार्थीगण मात्र विपक्षी जवाबदाता को ऐन केन प्रकार से परेशान कर उक्त भूमि को हड़प करना चाहते है एंव कोडियो के भाव मे लेना चाहते है, इसी नियत से मिथ्या तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। उक्त आवंटन की प्रार्थीगण को शुरू से ही जानकारी है, करीब 15 वर्ष बाद उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। पूर्व में विपक्षी जवाबदाता के गांव एंव समाज के नन्दा, सुरेश, सांवरिया माली ने भी उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु न्यायालय अति० जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 01/2017 आ.नि. दर्ज होकर दिनांक

जिला कलक्टर
शाहपुरा

24/10/2019 को आदेश पारित हुआ, जिसमे आंवटन बहाल रखा गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावं।

3. प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा मौखिक बहस एवं लिखित बहस पेश की गई। बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षीगण को ग्राम ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा की आराजी संख्या 154 में रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि वाद तरमीम नये नम्बर 691/154 आवंटन दिनांक 15.12.2004 का आवंटन नियम विरूद्ध किया गया। विपक्षीगण ने पति पत्नी होते हुए मां बेटे के रूप में आवंटन करा लिया और बाद में बिना कानूनी कार्यवाही किये बगैर कागजों में हेर फेर करते हुए वापस नाम सुधार करा लिया। आवंटित भूमि पर आज दिनांक तक विपक्षीगण द्वारा फसल काश्त नहीं की गई है। खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति सम्वत् 2066 से 2069 संलग्न है। आवंटित भूमि मौके पर आम सड़क व सार्वजनिक उपयोग के काम में आ रही है। मौके के फोटो ग्राफ संलग्न है। आवंटित भूमि ग्राम ढाणी भवसागर की आराजी संख्या 196 व 232 मेरसुमकिन नाले की केचमेन्ट क्षेत्र की भूमि है। अतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आवंटन को निरस्त करने का आदेश प्रदान करना फरमावें।

4. विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र मे मुख्य आधार विपक्षीगण जवाबदाता आंवटी का कब्जा नही होना बताया है, जबकि उक्त भूमि पर विपक्षीगण काश्त करते चले आ रहे है व वर्तमान में भी गेंहू की फसल काश्त की गयी है। उक्त जमीन के खसरा गिरदावरी वर्ष 2024 संवत 2080 रवी (उन्हालू) जो कि दिनांक 03.04.2024 को ऑनलाईन प्राप्त की गयी है, जिसमे भी गेंहू की फसल बोना अंकित कर रखा है, जिसकी नकल संलग्न है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षीगण का मौके पर कब्जा है। प्रार्थीगण द्वारा दूसरा मुख्य आधार आंवटित भूमि जो कि केचमेन्ट एरिया की भूमि होना बताया है, जबकि उक्त भूमि केचमेन्ट एरिया की भूमि नही है व न ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि केचमेन्ट एरिया में आने बावत कोई दस्तावेज पेश किये है व न ही केचमेन्ट एरिया में आने की रिपोर्ट पत्रावली पर आयी है व साथ ही उक्त भूमि किसी भी प्रकार से कोई बहाव क्षेत्र मे नही आती है, यहां पर किसी प्रकार का बहाव नही होता है, न ही पानी के बहाव को रोका जाता है व न ही पेटा काश्त की जमीन है, बल्कि खसरा गिरदावरी में किस्म बीड़ अंकित है, जो खसरा गिरदावरी हमराह लिखित बहस पेश है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि केचमेन्ट एरिया की भूमि नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को ग्राम ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा की आराजी संख्या 154 में रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि वाद तरमीम नये नम्बर 691/154 आवंटन दिनांक 15.12.2004 का आवंटन नियम विरूद्ध किया गया। लेकिन उक्त संबध में पत्रावली में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। केवल फोटोग्राफ्स प्रस्तुत कराये गये है, लेकिन उक्त फोटोग्राफ्स से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त फोटो विपक्षीगण को आवंटित भूमि की फोटो है। प्रार्थी ने बताया की आवंटित भूमि पर आज दिनांक तक विपक्षीगण द्वारा फसल काश्त नहीं की गई है। जबकि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी वर्ष 2024 संवत 2080 रवी (उन्हालू) जो कि दिनांक

जिला कलक्टर
शाहपुरा

03.04.2024 को ऑनलाईन प्राप्त की गयी है, जिसमे भी गैहू की फसल बोना अंकित कर रखा है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षीगण का मौके पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने बताया की आवंटित भूमि मौके पर आम सड़क व सार्वजनिक उपयोग के काम में आ रही ह ै एवं आवंटित भूमि ग्राम ढाणी भवसागर की आराजी संख्या 196 व 232 गेरमुमकिन नाले की केचमेन्ट क्षैत्र की भूमि बताई गई है। इस संदर्भ में न तो प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि केचमेन्ट एरिया में आने बाबत कोई दस्तावेज पेश किये है व न ही केचमेन्ट एरिया में आने की रिपोर्ट पत्रावली पर आयी है व साथ ही उक्त भूमि किसी भी प्रकार से कोई बहाव क्षेत्र मे नही आती है, यहां पर किसी प्रकार का बहाव नही होता है, न ही पानी के बहाव को रोका जाता है व न ही पेटा काश्त की जमीन है, बल्कि खसरा गिरदावरी में किस्म बीड़ अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि केचमेन्ट एरिया की भूमि नहीं है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचित परियोजना भूमि आवंटन नियम 1968 की पालना किया जाना स्पष्ट होता हैं। जहां तक विस्तृत रूप से खातेदारी के समय परीक्षण की जरूरत है वहां खातेदारी देने से पहली काश्त वगैरह के मानक वैसे ही देखे जाते है। यदि प्रकरण खातेदारी देने का नहीं बनेगा तो राजस्व प्राधिकारी कार्यवाही करने को स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचित परियोजना भूमि आवंटन नियम 1968 के नियम 17–ए अस्वीकार योग्य ठहरता हैं।

आदेश

6. अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचित परियोजना भूमि आवंटन नियम 1968 के नियम 17–ए बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का अस्वीकार कर किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

7. निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर,
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा